निर्णय न्यायालय श्री मुकेश कुमार कायथवाल, आर0ए0एस0, उप जिला कलेक्टर एवं उप जिला मजिस्ट्रेट मलारनाडूंगर जिला सवाई माधोपुर

मुकदमा नम्बर	तारीख रजू	तारीख निर्णय
64/2015	9.7.2015	21.12.17

केदार पुत्र जमनालाल, मीना नि0 भडकोली तहसील मलारनाडूंगर ——वादी

बनाम

1. बाबूलाल पुत्र गिर्राज, मीना निवासी भडकोली तहसील मलारनाडूंगर
2. तुलसा पत्नि गिर्राज, मीना निवासी भडकोली तहसील मलारनाडूंगर
3. प्रहलाद पुत्र काल्या, मीना निवासी भडकोली तहसील मलारनाडूंगर
4. कानजी पुत्र काल्या, मीना निवासी भडकोली तहसील मलारनाडूंगर
5. सुदामा पुत्र काल्या, मीना निवासी भडकोली तहसील मलारनाडूंगर
6. हंसराज पुत्र काल्या, मीना निवासी भडकोली तहसील मलारनाडूंगर
7. रामजीलाल पुत्र सुखलाल, मीना निवासी भडकोली तहसील मलारनाडूंगर
8. शाखा प्रबन्धक, बी0आर0जी0बी0 शाखा भाडोती
9. शाखा प्रबन्धक, आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक शाखा मलारनाडूंगर
10. लैण्ड होल्डर तहसीलदार मलारनाडूंगर ——प्रतिवादीगण

दावा बाबत् घोषणां नक्शा दुरूस्ती, बेदखली एवं स्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :—श्री बत्तीलाल मीना, एडवोकेट, वादी की ओर से
श्री संजय कुमार शर्मा, एडवोकेट, प्रति0 नं0 3 ता 6 की ओर से
श्री शंभुलाल मीना, एडवोकेट, प्रतिवादी नं0 9 की ओर से

निर्णय

वादी ने दावा इस आशय का पेश किया है कि उसकी खातेदारी का खेत साबिक ख0नं0 219 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा ग्राम भडकोली में स्थित था। यह खसरा नम्बर वादी, प्रतिवादी नं0 7 व अन्य सहखातेदारान की खातेदारी में दर्ज था जिसका बंटवारा न्यायालय से हुआ। इसकी पालना में नामान्तरकरण सं0 231 दिनांक 12.5.04 को खुला। इस बंटवारे के अनुसार ख0नं0 219 के 2 हिस्सेदारो में वादी व प्रतिवादी नं0 7 हुए। बंटवारे में वादी के 13 विस्वा भूमि दक्षिण की तरफ आई व 12 विस्वा भूमि प्रतिवादी सं0 7 के हिस्से में उत्तर दिशा की तरफ आई। वादपत्र के साथ नजरी नक्शा परिशिष्ठ "क" संलग्न है। सेटिलमेंट के दौरान वादी के पुराने ख0नं0 219 के दक्षिणी 13 विस्वा हिस्से का नया नम्बर 632 रकबा 16 एयर वादी के खातेदारी में दर्ज किया गया तथा उत्तरी 15 विस्वा का नया खसरा नम्बर 990/632 कायम हुआ जो प्रतिवादी संख्या 7 रामजीलाल के दर्ज हुआ। जमाबंदी में इन्द्राज में हमें कोई आपत्ती नहीं है किन्तु सेटिलमेंट विभाग द्वारा वादी व प्रतिवादी संख्या 7 का नक्शा ट्रेस में कोई विभाजन नहीं दर्शाया। इसके साथ ही ख0नं0 632 की दक्षिणी मेड को जो कि पुराने नक्शे में दर्शित थी उस जगह नहीं दर्शाकर उत्तर की तरफ पश्चिम की ओर 4 मीटर खिसका दी तथा पूरब की तरफ 7 मीटर खिसरा दी जिससे वादी के हिस्से में 238 वर्गमीटर भूमि कम हो गई। वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में

मुकेश कुमार कायथवाल
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूँगर (स.मा.)

Scanned by CamScanner

इस भूमि को मार्क ए बी सी डी से दिखाया गया है। वादी की 368 वर्गमीटर भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के खेत ख0नं0 629 में शामिल कर दी जिसका भू–प्रबन्ध विभाग को कोई अधिकार नहीं था।उक्त 368 वर्गमीटर भूमि नक्शा ट्रेस में शुद्ध करवाने का वादी अधिकारी है। नया ख0नं0 632 एवं 990/632 के पश्चिम में मुझ वादी के खातेदारी में दर्ज ख0नं0 631 एवं 989/630 स्थित है। इन दोनों ही खेतों की पूर्वी मेड की भूमि नजरी नक्शा अनुसार ई से एफ स्थान पर 4 मीटर व जी स्थान पर 2 मीटर एवं ई से जी उत्तर दक्षिण 20 मीटर लम्बाई में भूमि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा कम कर दी गई जो कि 60 वर्गमीटर होती है। जिसे भी वादी नक्शा शीट में दुरूस्त करवाने का अधिकारी है। इसी तरह पुराने ख0नं0 219 का उत्तरी पश्चिमी कोना जो कि नजरी नक्शा अनुसार एफ जी स्थान पर होना चाहिए था जिसे सेटिलमेंट विभाग ने नक्शा शीट में वादपत्र के साथ संलग्न नक्शे में दिखाए मार्क ई से जी स्थान पर बना दिया जिससे मुझ वादी की 60 वर्गमीटर भूमि कम हो गई। इसी तरह पुराने खसरा नम्बर 219 की उत्तरी मेड को भी भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा नियत स्थान से उत्तर की तरफ खिसका दिया जबकि उत्तर की तरफ दूसरे काश्तकारों के खेत है। वादी को दिनांक 17.5.15 को इस नक्शा शीट की अशुद्धि का पता तब चला जब पटवारी हलका खेत को नापने गए। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 भी सीमाज्ञान के समय मौजूद थे जिन्होने उक्त अशुद्धि का लाभ उठाकर मेरी 238 वर्गमीटर भूमि को दबाते हुए दिनांक 30.6.15 को काश्त कर दी। मैंने मना किया तो प्रतिवादीगण ने जमीन खाली करने से मना कर दिया। अतः दावा पेश कर निवेदन है कि दावा वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर घोषणां इस अमर की फरमाई जावे कि सेटिलमेंट विभाग द्वारावादी के ख0नं0 632 की दक्षिण की तरफ की मेड को गलत तरीके से पश्चिम की तरफ ए बी स्थान पर 4 मीटर व सी डी स्थान पर 7 मीटर तथा लम्बाई में 68 मीटर उत्तरी की तरफ खिसका कर भूमि कम की है जिसे दुरूस्त की किया जाकर वादी के खेत ख0नं0 632 में दर्शाया जावे। घोषणां इस आशय की फरमाई जावे कि वादी के खेत ख0नं0 631 व 989/630 की भूमि में प्रतिवादी संख्या 7 का हिस्सा जिसे नजरी नक्शे में मार्क ई जी से दर्शाया गया है उसे एफ जी स्थान पर दर्शाए जाने का वादी अधिकारी है तदनुसार नक्शा शीट में तरमीम कर शुद्धि किए जाने के आदेश प्रतिवादी संख्या 10 को फरमावें। घोषणां इस अमर की फरमाई जावे कि दिनांक 30.6.15 को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 द्वारा नाजायज अतिक्रमण कर मुझ वादी की 368 वर्गमीटर भूमि पर नाजायज कब्जा किया है जो अवैधानिक है जिन्हें 368 वर्गमीटर भूमि से बेदखल कर कब्जा मुझ वादी को दिलाया जावे। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे मुझ वादी के कब्जे काश्त में कोई दखल न तो स्वयं पैदा करें न किसी अन्य से दखल उत्पन्न करावें।

कार्यालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूँगर (स.मा.)

मुकेश कुमार कायथवाले
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूँगर (स.मा.)

Scanned by CamScanner

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादी नं0 1, 2, 7, 8, 10 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं हुए अतः इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गई।

प्रतिवादी संख्या 3, 4, 5, 6 ने जबाब दावे में वादी के दावे को अस्वीकार करते हुए जबाब के विशेष विवरण में अंकित किया है कि वादी द्वारा वादपत्र के साथ नजरी नक्शा परिशिष्ठ 'क' मनमाने तरीके से एवं गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया गया है। प्रतिवादी सं0 3 लगायत 6 की खातेदारी व कब्जे काश्त की आराजी खाता संख्या 22 में कुल किता 11 कुल रकबा 2.0600 है0 भूमि ग्राम भडकोली में संयुक्त खातेदारी में दर्ज है जिसमें ख0नं0 629 रकबा 0.26 है0 भी है। वादी की आराजी के ख0नं0 632 रकबा 0.1600 है0 प्रतिवादीगण की आराजी ख0नं0 629 के बीच किसी भी प्रकार की कोई आराजी शामिल नहीं की गई है। वादी द्वारा 238 वर्गमीटर भूमि प्रतिवादीगण की आराजी ख0नं0 629 में शामिल करना बताया है वह बिल्कुल गलत है। वादी व प्रतिवादीगण अपने अपने हिस्से की आराजी पर वर्षो से काबिज चले आ रहे हैं। सेटिलमेंट द्वारा ना तो कोई भूमि कम की गई है और ना ही कोई भूमि अधिक दी गई है। मौके पर आराजी पूर्व की भांति स्थित है। वादी ने दिनांक 16.5.15 को सीमाज्ञान हेतु प्रार्थना पत्र तहसील में पेश किया जिस पर पटवारी हलका को सीमाज्ञान कराने हेतु आदेश दिया गया व पटवारी हलका द्वारा आराजी ख0नं0 632 रकबा 0.1600 है0 का सीमाज्ञान किया गया जिसमें कहीं भी ख0नं0 629 में किसी भी प्रकार की कोई आराजी वादी की शामिल नहीं पाई गई। नक्शा शीट पूर्व की भांति दुरूस्त है। उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन किया जाना न्यायोचित नहीं है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी की किसी भी आराजी पर कोई नाजायज कब्जा नहीं किया गया है और न ही सेटिलमेंट विभाग द्वारा वादी की 238 वर्गमीटर भूमि वादी की आराजी में से कम करके प्रतिवादीगण की आराजी में शामिल की गई है। प्रतिवादी की आराजी ख0नं0 629 का रकबा जितना पहले था आज भी उतना ही मौके पर मौजूद है। पटवारी द्वारा सीमाज्ञान में भी कहीं भी प्रतिवादीगण की आराजी का जिक्र नहीं किया गया है। मात्र ख0नं0 632 का सीमाज्ञान ख0नं0 641, 626 में स्थित चाह से जरीब डालकर किया गया है जिसमें प्रतिवादीगण की आराजी ख0नं0 629 में किसी भी प्रकार की कोई आराजी वादी की शामिल नहीं पाई गई है। उक्त सीमाज्ञान से संतुष्ट होने के बाद वादी द्वारा अपने हस्ताक्षर भी किए गए हैं। अतः जबाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का दावा खारिज फरमाया जावे।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकियात कायम की गईः–

1. आया भूमि साबिक ख0नं0 219 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा ग्राम भडकोली का विभाजन न्यायालय के आदेशानुसार हुआ जिसमें ख0नं0 219 का 13 विस्वा

मुकेश कुमार कायथवाल
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूँगर (स.मा.)

Scanned by CamScanner

रकबा दक्षिण की तरफा का वादी के हिस्से में एवं शेष 12 विस्वा रकबा उत्तर की ओर का प्रतिवादी संख्या 7 रामजीलाल के हिस्से में आया। –वादी

2. आया हाल भू–प्रबन्ध में वादी के 13 विस्सा रकबे का नवीन ख0नं0 632 रकबा 16 एयर एवं प्रतिवादी संख्या 7 के 12 विस्वा रकबे का नवीन नम्बर 990/632 बनाया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 7 के नाम अलग अलग खातेदारी में दर्ज किया गया है परन्तु इन दोनों नम्बरों को नक्शा ट्रेस में अलग अलग नहीं दर्शाया गया है। ––वादी

3. आया भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जो वर्तमान नक्शा बनाया गया है उसमें ख0नं0 632 की दक्षिणी मेड को पुराने नक्शे के अनुसार नहीं दर्शा कर उसे उत्तर की तरफ पश्चिम की ओर 4 मीटर खिसका दिया तथा पूरब की तरफ 7 मीटर खिसका दिया इस प्रकार वादी के हिस्से में 238 वर्गमीटर भूमि कम कर दी एवं यह 238 वर्गमीटर भूमि प्रतिवादी सं.0 1 लगायत 6 की भूमि ख0नं0 629 में शामिल कर दी जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया है। ––वादी

4. आया भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई इस गलती के कारण दिनांक 30.6.2015 को प्रतिवादी सं0 1 लगायत 6 द्वारा वादी की 238 वर्ममीटर भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया गया है । ––वादी

5. आया वादी भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई गलती को दुरूस्त करवाकर ख0नं0 632 का नक्शा ट्रेस साबिक नक्शा शीट के अनुसार सही करवाने, वादी की जो 238 वर्गमीटर भूमि प्रतिवादी नं0 1 लगायत 6 के नाम दर्ज की गई है उसे पुनः वादी के नाम दर्ज करवाने एवं इस 238 वर्गमीटर भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने तथा उपरोक्तानुसार भूमि के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करने के लिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है। ––वादी

6. आया वादी ने वादपत्र के साथ नजरी नक्शा मनमाने तरीके से गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है जबकि पटवारी हलका द्वारा कराए गए सीमाज्ञान में ख0नं0 629 में वादी की कोई भूमि शामिल होना नहीं पाया गया है। वादी ने दावा गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो खारिज होने योग्य है। ––प्रतिवादीगण

7. अनुतोष।

वादपत्र के समर्थन में वादी ने नकल नामान्तरकरण संख्या 231 प्रदर्श पी–1, नकल नक्शा शीट ग्राम भडकोली प्रदर्श–2, नकल नक्शा शीट साबिक प्रदर्श–3, नकल खसरा मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श–4, नकल जमाबंदी सं0 2048 से 2051 प्रदर्श–5, नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 प्रदर्श–6, नजरी नक्शा प्रदर्श–7 पेश किए हैं तथा बयान वादी केदारलाल मीना पी0डब्लू0 1, बयान गवाह जगदीश मीना पी0डब्लू0 2, बयान गवाह चतुर्भुज मीना पी0 डब्लू0 3 कराए हैं।

21.12.17
मुकेश कुमार कायथवाल
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूँगर (स.मा.)

Scanned by CamScanner

जबाब दावा के समर्थन में प्रतिवादीगण ने नकल नक्शा शीट पी0–1, नकल जमाबंदी चालू प्रदर्श पी–2 पेश किए हैं एवं बयान प्रतिवादी प्रहलाद मीना डी0डब्लू0 1, बयान गवाह आशाराम मीना डी0डब्लू0 2, बयान गवाह बाबूलाल मीना डी0डब्लू0 3, बयान गवाह बाबूलाल मीना डी0डब्लू0 4 कराए हैं।

बहस विद्वान वकील उभयपक्ष सुनी गई।

वादीगण के विद्वान वकील ने अपने वादपत्र के अनुरूप बहस करते हुए वादीगण का दावा डिक्री करने का निवेदन किया है।

प्रतिवादीगण के विद्वान वकील ने अपने जबाब दावे के अनुरूप बहस करते हुए वादीगण का दावा खारिज करने का निवेदन किया है।

बहस पर मनन किया । पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। तनकीवाइज विवेचन एवं निर्णय निम्न प्रकार हैः–

तनकी नं0 1:– आया भूमि साबिक ख0नं0 219 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा ग्राम भडकोली का विभाजन न्यायालय के आदेशानुसार हुआ जिसमें ख0नं0 219 का 13 विस्वा रकबा दक्षिण की तरफा का वादी के हिस्से में एवं शेष 12 विस्वा रकबा उत्तर की ओर का प्रतिवादी संख्या 7 रामजीलाल के हिस्से में आया।

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी द्वारा प्रस्तुत नकल नामान्तरकरण संख्या 231 दिनांक 12.5.14 के अनुसार ख0नं0 219 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा का विभाजन तहसीलदार मलारनाडूंगर के आदेश से हुआ है जिसमें ख0नं0 219 का 13 विस्वा रकबा वादी केदार के हिस्से में ख0नं0 219/2 के रूप में तथा शेष 12 विस्वा रकबा ख0नं0 219/1 के रूप में रामजीलाल के नाम दर्ज हुआ है। अतः यह तनकी इस अभिलेख से वादी के पक्ष में प्रमाणित होती है एवं इसी अनुसार वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 2:– आया हाल भू–प्रबन्ध में वादी के 13 विस्सा रकबे का नवीन ख0नं0 632 रकबा 16 एयर एवं प्रतिवादी संख्या 7 के 12 विस्वा रकबे का नवीन नम्बर 990/632 बनाया जाकर वादी व प्रतिवादी संख्या 7 के नाम अलग अलग खातेदारी में दर्ज किया गया है परन्तु इन दोनों नम्बरों को नक्शा ट्रेस में अलग अलग नहीं दर्शाया गया है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। वादी की ओर से प्रस्तुत नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श पी–4 के अनुसार ख0नं0 219 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा से नवीन ख0नं0 632 रकबा 0.31 है0 बना है परन्तु नकल जमाबंदी सं0 2070 से 2073 प्रदर्श पी–6 के अनुसार वादी के नाम ख0नं0 632 का 0.16 है0 ही दर्ज किया गया है परन्तु नक्शा ट्रेस प्रदर्श पी–2 में ख0नं0 632 का जो रकबा दर्शाया गया है वह साबिक ख0नं0 219 रकबा 1 बीघा 5 विस्वा के बराबर ही है। अतः यह तनकी इन अभिलेख से वादी के

21.12.17
मुकेश कुमार कायथवाल
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूँगर (स.मा.)

Scanned by CamScanner

पक्ष में प्रमाणित होती है एवं इसी अनुसार वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 3:– आया भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा जो वर्तमान नक्शा बनाया गया है उसमें ख0नं0 632 की दक्षिणी मेड को पुराने नक्शे के अनुसार नहीं दर्शा कर उसे उत्तर की तरफ पश्चिम की ओर 4 मीटर खिसका दिया तथा पूरब की तरफ 7 मीटर खिसका दिया इस प्रकार वादी के हिस्से में 238 वर्गमीटर भूमि कम कर दी एवं यह 238 वर्गमीटर भूमि प्रतिवादी सं.0 1 लगायत 6 की भूमि ख0नं0 629 में शामिल कर दी जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में दर्शाया गया है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। इसे प्रमाणित करने के लिए वादी ने कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है परन्तु वादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा प्रदर्श पी–7 के अनुसार वादी की भूमि कम होना पाया जाता है। भूमि कम होने की पुष्टि अपने बयानो में स्वयं वादी ने एवं वादी के गवाह जगदीश मीना पी0डब्लू0 2 ने की है। इसके अलावा प्रतिवादी प्रहलाद, प्रतिवादी के गवाह आशाराम डी0डब्लू0 2, गवाह बाबूलाल डी0डब्लू0 3, गवाह बाबूलाल डी0डब्लू0 4 ने जिरह के दौरान नजरी नक्शा सही होना बताया है। इससे यह स्पष्ट है कि वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे के अनुसार वादी की भूमि भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा कम कर ख0नं0 629 में लगा दी है। अतः यह तनकी नजरी नक्शा व बयान गवाहों से वादी के पक्ष में प्रमाणित होती है एवं इसी अनुसार वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 4:– आया भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई इस गलती के कारण दिनांक 30.6.2015 को प्रतिवादी सं0 1 लगायत 6 द्वारा वादी की 238 वर्गमीटर भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया गया है ।

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। चूंकि तनकी नं0 3 के अनुसार भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा वादी की भूमि ख0नं0 629 में लगा दी है एवं जब वादी की भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा नाजायज रूप से कब्जा कर लिया गया तब ही वादी ने यह मुकदमा इस न्यायालय में प्रस्तुत किया है अन्यथा वादी को मुकदमा प्रस्तुत करने की आवश्यकता क्यों पडती। अतः यह तनकी इसी अनुसार वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 5:– आया वादी भू–प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई गलती को दुरूस्त करवाकर ख0नं0 632 का नक्शा ट्रेस साबिक नक्शा शीट के अनुसार सही करवाने, वादी की जो 238 वर्गमीटर भूमि प्रतिवादी नं0 1 लगायत 6 के नाम दर्ज की गई है उसे पुनः वादी के नाम दर्ज करवाने एवं इस 238 वर्गमीटर भूमि से प्रतिवादीगण को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने तथा उपरोक्तानुसार भूमि के कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न नहीं करने के लिए प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराने का अधिकारी है।

इस तनकी को साबित करने का भार वादी पर था। तनकी नं0 1 लगायत 4 में किए गए विवेचन एवं निर्णय के अनुसार वादी की 238

21.12.17
मुकेश कुमार कायथवाल
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूँगर (स.मा.)

वर्गमीटर भूमि प्रतिवादी नं0 1 लगायत 6 के नाम दर्ज ख0नं0 629 में भू–प्रबंध विभाग द्वारा लगा दी गई है जिस पर प्रतिवादीगण ने नाजायज रूप से कब्जा कर लिया है । इस कब्जे से वादी प्रतिवादीगण को बेदखल करवा कर कब्जा प्राप्त करने, साबिक नक्शा शीट के अनुसार वर्तमान नक्शा शीट सही करवाने एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः यह तनकी वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 6:–आया वादी ने वादपत्र के साथ नजरी नक्शा मनमाने तरीके से गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है जबकि पटवारी हलका द्वारा कराए गए सीमाज्ञान में ख0नं0 629 में वादी की कोई भूमि शामिल होना नहीं पाया गया है। वादी ने दावा गलत तथ्यों के आधार पर पेश किया है जो खारिज होने योग्य है।

इस तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था। प्रतिवादीगण ने वादपत्र के साथ वादी द्वारा प्रस्तुत नजरी नक्शा को मनमाने तरीके से प्रस्तुत करना कहा है जबकि साक्षियों के बयानों से यह स्पष्ट हुआ है कि प्रस्तुत नजरी नक्शा सही है इस प्रकार प्रतिवादीगण का यह कथन गलत प्रमाणित होता हैं । जहां तक प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 16.5.15 की छायाप्रति का प्रश्न है इस रिपोर्ट में कोई विस्तृत तथ्य अंकित नहीं किए गए हैं बल्कि सीमाज्ञान कराने की खानापूर्ति जैसे तथ्य ही अंकित किए गए हैं इसलिए इस पर न्यायालय द्वारा विश्वास नहीं किया जा सकता है। प्रतिवादीगण यह तथ्य भी प्रमाणित करने में असफल रहे हैं कि वादी ने दावा गलत तथ्यों पर पेश किया है। इसके विपरीत पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों व मौखिक साक्ष्यों से वादी का दावा पूर्णतया प्रमाणित है। अतः इस तनकी में वर्णित तथ्यों को प्रतिवादीगण प्रमाणित करने में असफल रहे हैं फलस्वरूप यह तनकी उनके विरूद्ध निर्णित की जाती है।

तनकी नं0 7:– अनुतोष।

तनकी संख्या 1 लगायत 7 में किए गए विवेचन एवं निर्णय के अनुसार वादी का वाद पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों एवं मौखिक साक्ष्य से पूर्णतया प्रमाणित है एवं डिक्री किए जाने योग्य है व वादी वादपत्र में चाहे गए अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के अनुसार वादी का वाद डिक्री किया जाता है। वादपत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा प्रदर्श पी–7 अनुसार ग्राम भडकोली के ख0नं0 632 की दक्षिण की तरफ की मेड को गलत तरीके से पश्चिम की तरफ ए–बी स्थान पर 4 मीटर व सी–डी स्थान पर 7 मीटर तथा लम्बाई में 68 मीटर उत्तरी तरफ खिसका कर जो भूमि वादी की कम की है उसे ख0नं0 632 में दर्शाया जावे व इसी अनुसार भूमि ख0नं0 629 से कम की जावे साथ ही ख0नं0 631 व 989/630 की भूमि में प्रतिवादी सं0 7 का

21.12.17
मुकेश कुमार कायथवाल
उप जिला कलेक्टर
मलारना डूँगर (स.मा.)

Scanned by CamScanner

हिस्सा जिसे वादपत्र के साथ संलग्न नक्शा ट्रेस में मार्क ई–जी से दर्शाया गया है उसे एफ–जी स्थान पर दर्शाने का भी आदेश दिया जाता हैं। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड व नक्शा शीट में दुरूस्ती की जावे। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को उपरोक्तानुसार 368 वर्गमीटर भूमि से बेदखल कर कब्जा वादी को दिलाए जाने का आदेश भी दिया जाता है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे वादी के कब्जे काश्त में कोई दखल न तो स्वयं पैदा करें न किसी अन्य से करावें। नजरी नक्शा प्रदर्श पी–7 निर्णय का हिस्सा रहेगा। पर्चा डिक्री जारी किया जावे।

पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 21-12-17 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
उप जिला कलेक्टर
मलारनाडूंगर

न्यायालय उप जिला कलेक्टर मलारना डूंगर (राज.)

Scanned by CamScanner

Signature Not Verified
Digitally signed by Manoj Kumar Verma
Date: 2019.11.21 17:18:47 IST
Reason: SelfAttested
Location: